तत्काल

सं. एन-22/2/2021-पी एंड सी
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक 22 अगस्त, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में जुलाई, 2022 माह के लिए मंत्रिमंडल के लिए मासिक सारांश – के संबंध में।

****

अधोहस्ताक्षरी को इस पत्र के अनुलग्नक के रूप में, उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में जुलाई, 2022 माह के लिए मासिक सारांश **(अनुलग्नक)** के अवर्गीकृत भाग को सूचनार्थ संलग्न करने का निदेश हुआ है।

संलग्नक: यथोक्त

ज.नारायणन

(जयश्री नरायणन)
अवर सचिव, भारत सरकार
फोन नं. 23384627

प्रति संलग्नकों सहित, ई मेल के माध्यम से अग्रेषित:

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य।
2. पीआईबी/सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।
3. उपराष्ट्रपति के सचिव।
4. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
5. सचिवगण, भारत सरकार। (सूची के अनुसार)
6. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
8. निदेशक (एनआईसी) को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

अनुलग्नक

उपभोक्ता मामले विभाग
जुलाई, 2022 माह के दौरान उपभोक्ता मामले विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप

जुलाई, 2022 के दौरान उपभोक्ता मामले विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:

1. **उपभोक्ता संरक्षण:**

1.1 होटल और रेस्तरां द्वारा सेवा शुल्क लगाने के संबंध में उपभोक्ताओं द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) में कई शिकायतें दर्ज की गई थीं। उपभोक्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों में रेस्तरां सेवा शुल्क को अनिवार्य बनाना और इस तथ्य को नजरंदाज करते हुए कि इस प्रकार के शुल्क वैकल्पिक और स्वैच्छिक है और यदि वे सेवा शुल्क का भुगतान करने से मना करते हैं तो उपभोक्ताओं को शर्मिंदा करते हुए इसे बिल में डिफ़ॉल्ट रूप से जोड़ना, शामिल है। सीसीपीए ने होटल और रेस्तरां में सेवा शुल्क लगाने के संबंध में अनुचित व्यापार प्रथाओं और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए। यदि कोई उपभोक्ता पाता है कि कोई होटल या रेस्तरां दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए सेवा शुल्क लगा रहा है, तो उपभोक्ता संबंधित होटल या रेस्तरां से सेवा शुल्क को बिल राशि से हटाने का अनुरोध कर सकता है। इसके अलावा, उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) पर शिकायत दर्ज करा सकता है, जो पूर्व-मुकदमेबाजी स्तर पर 1915 पर कॉल करके या एनसीएच मोबाइल ऐप के माध्यम से वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र के रूप में काम करता है। हालांकि, दिशानिर्देशों के पैरा 7 पर बाद में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय और सीसीपीए द्वारा रोक लगा दिया गया है।

1.2 उपभोक्ता मामले विभाग ने राईट टू रिपेयर के लिए एक समग्र ढांचा विकसित करने हेतु एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारत में राईट टू रिपेयर पर एक ढांचा विकसित करने का उद्देश्य स्थानीय बाजार में उपभोक्ताओं और उत्पाद खरीदारों को सशक्त बनाना, मूल उपकरण विनिर्माताओं और तीसरे पक्ष के खरीदारों और विक्रेताओं के बीच व्यापार में सामंजस्य स्थापित करना, उत्पादों की स्थायी खपत के विकास पर जोर देना और ई – अपशिष्ट कम करना है। इसके भारत में शुरू होते ही , यह उत्पादों की धारणीयता के लिए एक गेम-चेंजर बन जाएगा और साथ ही तीसरे पक्ष की मरम्मत की अनुमति देकर आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से रोजगार सृजन के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। इस संबंध में विभाग ने एक समिति का गठन किया है जिसकी अध्यक्षता

श्रीमती निधि खरे, अपर सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार करेंगी । समिति ने 13 जुलाई, 2022 को अपनी पहली बैठक की, जिसमें राईट टू रिपेयर के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की गई। चिन्हित किए गए क्षेत्रों में कृषि उपकरण, मोबाइल फोन/टैबलेट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वस्तुएं और ऑटोमोबाइल/ऑटोमोबाइल उपकरण शामिल हैं।

1.3 सीसीपीए ने 24 जुलाई, 2022 को अपनी स्थापना के दो साल पूरे किए। सीसीपीए ने 24 जुलाई, 2022 को 71 गुमराह करने के लिए, 49 अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए, और 9 उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के लिए कुल 129 नोटिस जारी किए। पहला सुरक्षा नोटिस हेलमेट, प्रेशर कुकर और रसोई गैस सिलेंडर के संबंध में जारी किया गया था और दूसरा सुरक्षा नोटिस घरेलू सामान के संबंध में जारी किया गया था जिसमें इलेक्ट्रिक इमर्शन वॉटर हीटर, सिलाई मशीन, माइक्रोवेव ओवन, एलपीजी वाले घरेलू गैस स्टोव आदि शामिल हैं। सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापनों के लिए विभिन्न कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, जिसमें 15 कंपनियों ने अपने विज्ञापन वापस ले लिए और 3 कंपनियों ने सुधारात्मक विज्ञापन दिए। इसके अलावा, भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और भ्रामक विज्ञापनों के समर्थन, 2022 पर दिशानिर्देश भी जारी किए गए। दिशानिर्देश यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि उपभोक्ताओं को निराधार दावों, अतिरंजित वादों, गलत सूचना और झूठे दावों के साथ धोखा नहीं दिया जा रहा है।

2. मूल्य निगरानी:

2.1 आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों की समीक्षा के लिए सचिवों की समिति की बैठक दिनांक 25.07.2022 को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की गई और आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों की समीक्षा के लिए मंत्रियों की समिति की बैठक दिनांक 27.07.2022 को माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में हुई।

2.2 सचिव (उपभोक्ता मामले विभाग) को एग्रीवॉच की साप्ताहिक प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें पांच दालों (चना, तूर, उड़द, मूंग और मसूर) और तीन सब्जियों (प्याज, आलू और टमाटर) की कीमतों, उत्पादन, उपज, आयात और निर्यात परिदृश्य को शामिल किया गया।

2.3 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा रिपोर्ट किए गए अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा कीमतों के लिए जून, 2022 की तुलना में जुलाई, 2022 के महीने के लिए मूल्य रुझान संलग्न हैं।

3. मूल्य स्थिरीकरण कोष:

3.1 पीएसएफ के तहत वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान नेफे द्वारा आर-22 प्याज की खरीद के लिए चौथे और पाँचवें किश्त के रूप में नेफेड को क्रमशः 50 करोड़ रुपये और 123.73 करोड़ रुपये रिलीज किए गए।

3.2 पीएमसी के सुदृढ़ीकरण के लिए स्कीम के तहत वित्तीय सहायता के संबंध में, स्कीम के तहत मेघालय और नागालैंड के सरकार को जुलाई 2022 में क्रमशः 15.70 लाख और 6.08 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे।

3.3 30 जुलाई 2022 तक, नेफेड ने कथित तौर पर 2.50 लाख मीट्रिक टन प्याज की खरीद का लक्ष्य हासिल कर लिया है और दालों के लिए प्रस्तावित 42,500 मीट्रिक टन तूर के मुकाबले पीएसएफ के तहत 14017.99 मीट्रिक टन तूर की खरीद की गई है।

4. प्याज बफर स्टॉक:

2022-23 में रबी-2022 की फसल खरीद कर 2.50 लाख मीट्रिक टन प्याज का बफर स्टॉक बनाया गया है। 2.50 लाख मीट्रिक टन का खरीद लक्ष्य 13.07.2022 को प्राप्त कर लिया गया है। मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए लीन सीज़न (अगस्त-दिसंबर) के दौरान बफर से स्टॉक को लक्षित और कैलिब्रेटेड तरीके से जारी किया जाएगा।

5. भारतीय मानक ब्यूरो:

5.1 माह के दौरान 18 नए मानक बनाए गए हैं और 30 मानकों को संशोधित किया गया है। इसके अलावा, नए मानकों के निर्माण के लिए 49 प्रस्तावों और मौजूदा मानकों के संशोधन के लिए 93 प्रस्तावों पर विचार किया गया।

5.2 घरेलू विनिर्माताओं को 403 नए लाइसेंस और विदेशी विनिर्माताओं को 15 लाइसेंस दिए गए। इसके अलावा, घरेलू विनिर्माताओं को दिए गए 2356 लाइसेंस और विदेशी विनिर्माताओं को 41 लाइसेंसों का नवीनीकरण किया गया। अनिवार्य पंजीकरण स्कीम के तहत जून 2022 में 478 नए लाइसेंस जारी किए गए, 881 समावेशन और 414 नवीनीकरण किए गए। इस महीने में संचालित लाइसेंसों की संख्या 19,408 थी। 15 नए मानकों को प्रमाणन के तहत कवर किया गया क्योंकि 15 अखिल भारतीय प्रथम लाइसेंस प्रदान किए गए ।

5.3 लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदनों को प्रोसेस करने और लाइसेंसधारियों के संचालन की निगरानी के लिए, 414 प्रारंभिक निरीक्षण, बीआईएस और ओएसए

द्वारा 3782 निगरानी निरीक्षण, 507 एलओटी निरीक्षण और 390 अन्य निरीक्षण देश भर में किए गए।

5.4 बीआईएस ने बीआईएस अधिनियम, 2016 के तहत कार्रवाई के अलावा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण प्रकोष्ठ (सीसीपीएसी) को लोक स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े उत्पादों के लिए नमूना विफलता की घटना को साझा करना शुरू कर दिया है। इस संबंध में 21 जुलाई 2022 को नीतिगत दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।

5.5 माननीय वाणिज्य और उद्योग, सीए, एफ एंड पीडी और वस्त्र मंत्री ने 27 जून 2022 को केंद्रीय प्रयोगशाला (सीएल) में खिलौना, खाद्य लैब, फुटवियर लैब और उपकरण के लिए नई परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया।

5.6 इलेक्ट्रिकल केबल, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर, स्किम्ड मिल्क पाउडर, पीवीसी इंडक्शन केबल, सबमर्सिबल पंप-सेट, सिंचाई पाइप, कंक्रीट पेविंग ब्लॉक, पंप और मोटर्स, टेक्सटाइल उत्पाद, एचएसडीएस बार और कार्बन स्टील कास्ट बिलेट सिल्लियां, बिलेट, ब्लूम और स्लैब, खिलौनों की सुरक्षा, पीने योग्य पानी की सप्लाई के लिए यूपीवीसी पाइप, घरेलू इलेक्ट्रिक फूड मिक्सर, स्टील उत्पाद पर 22 कैप्सूल कोर्स आयोजित किए गए।

5.7 माइक्रोबायोलॉजी और इलेक्ट्रिकल आईएस के अनुसार बीआईएस द्वारा तीन नई निजी प्रयोगशालाओं को मान्यता दी गई है। इसके अलावा, बीआईएस प्रयोगशालाओं द्वारा 09 नियमित लेखापरीक्षा की गई है।

5.8 1531 नए ज्वैलर्स पंजीकृत किए गए हैं, और 52 नए एएंडएच केंद्रों को मान्यता दी गई है।

5.9 इस माह के दौरान 17 छापे/तलाशी एवं जब्ती अभियान चलाए गए, 156 शिकायतें प्राप्त हुई और 137 शिकायतों का निस्तारण किया गया।

5.10 आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर गुणवत्ता परीक्षण के लिए छात्रों के लिए प्रयोगशालाओं में एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया गया।

6. व्यवसाय सुगमता:

खाद्य तेल आदि के विनिर्माताओं/पैकेटों/आयातकों के बीच जागरूकता पैदा करने और तापमान का उल्लेख किए बिना कमोडिटी को पैक करने के लिए और उन्हें यह सुनिश्चित करने हेतु सलाह देने के लिए कि पैकेज पर घोषित मात्रा या

द्रव्यमान सटीक है, सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के विधिक माप विज्ञान नियंत्रकों को 15.07.2022 को एक एडवाइजरी जारी की गई।

7. समय प्रसार:

08.07.2022 को अपर सचिव (उपभोक्ता मामले) की अध्यक्षता में सभी हितधारकों के साथ समय प्रसार परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी।

8. आवश्यक वस्तुएं:

देश भर के डीलर, आयातक, मिलर और स्टॉकिस्ट जैसी 5 संस्थाओं ने दालों के स्टॉक की घोषणा करने के लिए जुलाई, 2022 में उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है और राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा घोषित किया गया दालों का स्टॉक 61936.19 मीट्रिक टन है।

9. एसीसी निर्देश:

सुश्री रूपा दत्ता के कार्यमुक्त होने के बाद से वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार का पद 17.07.2021 से रिक्त है। इसे पद के लिए संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी होने के नाते आर्थिक कार्य विभाग द्वारा भरा जाना है। अत: विभाग के पास एसीसी का कोई निदेश लम्बित नहीं है।

<u>आवश्यक वस्तुओं की कीमतें – पिछले माह की तुलना में रूझान:</u>

राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश भर के 181 केन्द्रों से 22 आवश्यक वस्तुओं की अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्यों को संकलित किया जाता है तथा जून, 2022 की तुलना में जुलाई, 2022 माह के औसत खुदरा मूल्यों का विवरण निम्नलिखित है:-

आवश्यक वस्तुओं के अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्य (₹/कि.ग्रा.)

क्रम सं.	वस्तु	जुलाई, 2022	जून, 2022	अंतर (₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चावल	37	36	1
2	गेहूं	30	30	0
3	आटा	34	34	0
4	चना दाल	73	74	-1
5	तूर दाल	104	103	1
6	उड़द दाल	104	104	0
7	मूंग दाल	102	102	0
8	मसूर दाल	96	96	0
9	चीनी	42	42	0
10	दूध (प्रति लीटर)	52	52	0
11	मूँगफली का तेल	191	192	-1
12	सरसों का तेल	183	186	-3
13	वनस्पति	159	165	-6
14	सोया तेल	164	170	-6
15	सूरजमुखी का तेल	185	189	-4
16	पॉम ऑयल	142	152	-10
17	गुड़	49	48	1
18	खुली चाय	282	284	-2
19	नमक का पैक	20	20	0
20	आलू	26	25	1
21	प्याज	25	24	1
22	टमाटर	39	52	-13

स्रोत: राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग